भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1670

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए श्रमिक

1670. श्री जी.एम.सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कितने श्रमिकों को शामिल किया गया है;

(ख) असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड और दिशानिर्देश हैं;

(ग) क्या असंठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए उनकी कोई पहचान और पंजीकरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पहचान और पंजीकृत किए गए श्रमिकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): असंगिठत कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, इत्यादि से संबंधित उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, 436/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2.00 लाख रुपए है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए (पीएमएसबीवाई) भी उपलब्ध है जिनका बैंक/डाकघर में खाता है। इस योजना के तहत 20/- रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी अशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1.00 लाख रुपए की जोखिम बीमा है। दिनांक 28.06.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में क्रमशः पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कुल 16,92,48,279 और 36,17,75,732 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। कर्नाटक में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 75,43,970 और 1,61,70,795 है।

जारी..2/-

(ii) वंचन और व्यवसाय मानदंडों के अंतर्गत आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित की जाती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 24.19 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और देश में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और कर्नाटक में यह संख्या 1,41,20,609 है।

(iii) भारत सरकार ने, वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए, वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना आरंभ किया। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् न्यूनतम 3000/- रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या इससे कम है, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है। दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 49,47,212 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और कर्नाटक राज्य में लाभार्थियों की संख्या 1,30,527 है।

उपर्युक्त के अलावा, श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों के लिए उनकी पात्रता से संबंधित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि जैसी अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक अर्हता, कौशल के प्रकार, परिवार के विवरण आदि शामिल हैं। दिनांक 25.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 28.97 करोड़ असंगठित कामगारों की पहचान की गई है और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

*****